188/15

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

A3

अपील सूचना का अधिकार संख्या 188/2015 श्री गुरदीप सिंह सिधू निवासी गुरूजी इन्टरनेट बस स्टेण्ड पतरोड़ा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलक्टर एवं नोडल अधिकारी, श्रीगंगानगर

17–02–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरदीप सिंह सिधू को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरदीप सिंह सिधू ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर व नोडल अधिकारी सूचना का अधिकार श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

> मुझे निम्न बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवाने का श्रम करे जिससे पता चल सके (समस्त सूचना केवल श्रीगंगानगर जिले के वित्यि वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक ही उपलब्ध करवानी है)
>
> 1– जिले में वित्तिय वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक ईमित्रा कियोस्को को रेवेन्यू स्पोर्ट रूप में देय राशि (जिससे पता चल सके कि कुल कितने महिनों के लिए कितनी कितनी राशि दी गई है)
>
> 2– एल एस पी द्वारा जिले के किन किन कियोस्कों रेवेन्यू स्पोर्टस का भुगतान किया जा रहा है की जानकारी व उक्त वित्तिय वर्ष में कियोस्क वार कितनी राशि का भुगतान किया गया व कितनी राशि बकाया है के ब्योरे का पता चल सके सम्बन्धीत दस्तावेज सूचिया, परिपत्र उपलब्ध करवाये।
>
> 3– वह सूचनांए, परिपत्र उपलब्ध करवायें जिसमें पता चल सके कि गंगानगर जिले के कियोस्को को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा एल एस पी द्वारा यह सुविधांये प्रदान की गई है। जैसे निशुल्क डिजिटल प्रमाण पत्र हेतु स्टेशनरी, कोई डिवाईस नेट कनक्टीविटी, राशन कार्ड सामग्री आदि।
>
> 4– एल एस पी द्वारा एम ओ यू के अनुसार कियोस्क को देय सुविधा की जानकारी उपलब्ध करवायें।
>
> 5– उक्त अवधि के दौरान राज्य/केन्द्र सरकार से एल एस पी/ कियोस्क के लिए सहायता/रेवेन्यू स्पोर्ट के लिए जारी दिशा निर्देश व आदेशों की प्रति उपलब्ध करवायें।

अपीलार्थी श्री गुरदीप सिंह सिधू द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं नोडल अधिकारी (सूचना का अधिकारी) श्रीगंगानगर द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की उल्लंघना के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र एवं आवेदन पत्र की प्रतियां अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं नोडल अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र सं0 2478 दिनांक 31.12.15 से प्रेषित कर टिप्पणी एवं रिकार्ड चाहे जाने पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 01.01.16 से प्रभारी अधिकारी, ईमित्रा शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को अपील का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में उसे पत्र सं0 448–449 दिनांक 31.12.15 द्वारा एसीपी (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग श्रीगंगानगर द्वारा निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

कलैक्टर
गंगानगर

A3/2

बिन्दु सं0 1:– जिले में वित्तिय वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक ईमित्रा कियोस्को को रेवेन्यू स्पोर्ट रूप में देय राशि

प्रत्युतर:–ACP (Dy Director) Raj.cmp.info Services Ltd. Jaipur के पत्रांक f 4.9 (70)/RISL/Tech/Misc/2013/3069 दिनांक 3.12.15 के अनुसार ई–मित्र परियोजना के अन्तर्गत कोई रेवेन्यू सपोर्ट नही दिया जाता है(प्रतिलिपि सलंग्न है)

बिन्दु सं0 2:–एल एस पी द्वारा जिले के किन किन कियोस्कों रेवेन्यू स्पोर्टस का भुगतान किया जा रहा है की जानकारी व उक्त वित्तिय वर्ष में कियोस्क वार कितनी राशि का भुगतान किया गया व कितनी राशि बकाया है के ब्योरे का पता चल सके सम्बन्धीत दस्तावेज सूचिया, परिपत्र उपलब्ध करवाये।

प्रत्युतर:– ACP (Dy Director) Raj.cmp.info Services Ltd. Jaipur के पत्रांक f 4.9 (70)/RISL/Tech/Misc/2013/3069 दिनांक 3.12.15 के अनुसार ई–मित्र परियोजना के अन्तर्गत कोई रेवेन्यू सपोर्ट नही दिया जाता है(प्रतिलिपि सलंग्न है)

बिन्दु सं0 3:– वह सूचनांए, परिपत्र उपलब्ध करवायें जिससे पता चल सके कि गंगानगर जिले के कियोस्को को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा एल एस पी द्वारा यह सुविधांये प्रदान की गई है। जैसे निशुल्क डिजिटल प्रमाण पत्र हेतु स्टेशनरी, कोई डिवाईस नेट कनक्टीविटी, राशन कार्ड सामग्री आदि।

प्रत्युतर:–वर्तमान में किसी भी क्योिसक धारक को डिजीटल प्रमाण पत्र स्टेशनरी नही दी जा सकती है। डिवाईस नेट जो केवल अटल सेवा केन्द्र में स्थापित क्योिसक को रासवान द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है तथा राशन कार्ड निशुल्क DOIT के पदाधिकारी की अनुशंषा पर देय है।

बिन्दु सं0 4:–एल एस पी द्वारा MOU के अनुसार कियोस्क को देय सुविधा की जानकारी उपलब्ध करवायें।

प्रत्युतर:– एलसीपी द्वारा किए गए MOU में ई मित्रा की कोई भूमिका नही है।

बिन्दु सं0 5:– उक्त अवधि के दौरान राज्य/केन्द्र सरकार से एल एस पी/ कियोस्क के लिए सहायता/रेवेन्यू स्पोर्ट के लिए जारी दिशा निर्देश व आदेशों की प्रति उपलब्ध करवायें।

प्रत्युतर:–ACP (Dy Director) Raj.cmp.info Services Ltd. Jaipur के पत्रांक f 4.9 (70)/RISL/Tech/Misc/2013/3069 दिनांक 3.12.15 के अनुसार ई–मित्र परियोजना के अन्तर्गत कोई रेवेन्यू स्पोर्ट नही दिया जाता है(प्रतिलिपि सलंग्न है)

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके विभाग के लोक सूचना अधिकारी Shri Jai Singh, OSD-UID&HOO, Department of information Technology & Communication (DOIT&C) Secon Floor,IT Building, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-SCheme, Jiapur-302005 ↕(Raj.) है और अपील अधिकारी Shri Akhil Arora, Secretary DOIT&C,IT Building, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-SCheme, Jiapur-302005 ↕(Raj.) है। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

188/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर
A3/3

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रा0 पत्र दिनांक 22.10.2015 के द्वारा 5 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जिसका उसे बिन्दुवार उत्तर लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.2015 को उक्तानुसार भिजवाया जा चुका है। चूंकि निम्न हस्ताक्षरकर्ता उक्त विभाग के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील अधिकारी नही है बल्कि Shri Akhil Arora, Secretary DOIT&C,IT Building, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-SCheme, Jiapur-302005 (Raj.) अपील अधिकारी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी सूचनांओ से सन्तुष्ट नही है तो वह संबंधित सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर